भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2538

दिनांक 09 मार्च, 2026 को उत्तर देने के लिए

सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों हेतु एक अलग वेतन संशोधन समिति

2538. **श्री लक्ष्मीकान्त पप्पू निषाद:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों (सीपीएसयू) में कार्यरत लगभग 8 लाख गैर-कार्यकारी कर्मचारियों और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों के वेतन में वर्ष 2027 से पीएसयू अधिकारियों के समान वृद्धि करने के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की तर्ज पर एक अलग और संस्थागत वेतन संशोधन समिति (पीआरसी) गठित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार यह स्वीकार करती है कि सीपीएसयू में अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन संशोधन की प्रक्रिया, बोनस/पीआरपी का सूत्र, भत्तों और सुविधाओं का प्रतिशत और लाभ-साझाकरण का पैटर्न एक सीपीएसयू से दूसरे सीपीएसयू में काफी भिन्न और असंगत है, जिससे समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत का उल्लंघन होता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार उक्त प्रक्रिया को मानकीकृत करने और इसे अधिक न्यायसंगत बनाने के लिए क्या कदम उठा रही है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क): केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में कार्यरत बोर्ड स्तर से नीचे के गैर-कार्यकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक अलग और संस्थागत वेतन संशोधन समिति (पीआरसी) गठित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

(ख) और (ग): सीपीएसई में वेतन, भत्ते और प्रोत्साहनों में भिन्नता उनकी वित्तिय क्षमता, कार्य-निष्पादन में अंतर दर्शाती है। सरकार सीपीएसई की कार्यात्मक स्वायत्तता को संरक्षित करते हुए, पारदर्शिता, वहनीयता और व्यापक समता सुनिश्चि करने के लिए आवधिक एकसमान दिशानिर्देश जारी करती है।

*****